UTTAR PRADESH SHASAN
Audyogik Vikas Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 02/2018/235/77-3-18-37(M)/2012 dated 15th January, 2018.

Notification
no- 02 /2018/235/77-3-18-37(M)/2012
Lucknow: Dated 15th January, 2018

In exercise of the powers under sub-rule (i) of rule 3 of the Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017, the Governor is pleased to fix the base rate of fees for the year 2017-2018 as mentioned in the Schedule below:-

SCHEDULE

Sl. No.	Type of Vehicle	Base rate of fee per Km (in Rupees) based on the Wholesale Price Index (WPI) of December 2016 (WPI 343.32) for the year 2017-2018
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	2.20
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods vehicle or Mini Bus	3.50
3	Bus or Truck	7.05
4	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	10.85
5	Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	13.85

2- The rate of fee for the use of structures interalia including permanent bridge, interchange, flyover, ROB/RUB, bypass or tunnel constructed with the completed cost exceeding Rupees ten crores shall, based on the Wholesale Price Index (WPI) of December 2016 (WPI 343.32) for the year 2017-2018, be as follows;

	Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)				
Cost of permanent bridge or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	6.00	9.00	18.00	26.40	35.95
For every additional five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore	1.20	1.80	3.60	5.40	7.20
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.90	1.40	2.70	4.10	5.40
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.60	0.90	1.80	2.70	3.60

3- Governor is also pleased to direct that a discount of 25% shall be given on the Toll Rates to be calculated on the basis of above base rates of fee for various types of vehicles for a period of Six Months from the date of start of Tolling on 'Agra-Lucknow Expressway'.

4- In addition to the above, the Governor is also pleased to authorize Board of Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) to sanction the annual increment in Toll rates from for the year 2017-18 (Based on WPI 343.32 as on December 2016) from 01 April every year on the basis of the provisions of Uttar Pradesh Expressway (Levy of Tolls and Fixing of Fees and Realisation thereof) (Fourth Amendment) Rules, 2017.

Sinha

(Alok Sinha)
Additional Chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या- 02 /2018/235/77-3-2018-37एम/12

लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल वर्ष 2017-18 के लिए नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित फीस की आधार दर नियत करते हैं:-

क्र0स0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिए दिसम्बर, 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई. 343.32) पर आधारित फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रूपये में)
1	कार, जीप, वैन या हल्क मोटर वाहन	2.20
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50
3	बस या ट्रक	7.05
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	10.85
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकिल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85

2- निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढाँचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2017-18 के लिए दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई. 343.32) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:-

फीस का आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा रूपये में)					
स्थाई सेतु या सुरंग की लागत (करोड रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एच0सी0एम0, ई0एम0ई0 या एम0ए0वी0	विशाल आकार यान
10-15	6.00	9.00	18.00	26.40	35.95

रू0 पन्द्रह करोड के बाद प्रत्येक पांच करोड या उसके भाग पर रू0 सौ करोड तक	1.20	1.80	3.60	5.40	7.20
रू0 सौ करोड के बाद प्रत्येक पांच करोड या उसके भाग पर रू0 दो सौ करोड तक	0.90	1.40	2.70	4.10	5.40
रू0 दो सौ करोड से ऊपर प्रत्येक पांच करोड या उसके भाग पर	0.60	0.90	1.80	2.70	3.60

3- श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त निर्धारित टोल की आधार दरों के अनुसार 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' हेतु विभिन्न वाहनों के लिए आगणित टोल दरों पर, टोलिंग प्रारम्भ करने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए, 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय।

4- उक्त के अतिरिक्त टोल दरों में उपरोक्त 2017-18 आधार दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के बोर्ड को अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 02/2018/235 (1)/77-3-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।